पक्षकारान की बहस सुनी गयी। प्रार्थिनी ने यह प्रार्थना पत्र RTAct की धारा 251(A)(1) के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थिनी के खेत सं. 629/422 में आवागमन हेतु रास्ता मौजूद नहीं है इसलिए प्रार्थिनी चिन्ता देवी जो उनके खेत में जाने हेतु खा. सं. 629/230 में रकबा बिघा बिस्वा, रामपाल रेगर के नाम दिखाया जाके। प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थीगण को तलब किया जाकर तहसीलदार बीदासर से मौका जांच रिपोर्ट चाही गयी जो दिनांक 9/6/23 को तैयार कर तहसीलदार ने न्यायालय में पेश की। तहसीलदार बीदासर की मौका जांच रिपोर्ट पर शपथपूर्वक विस्तार पत्रावलि पर लिया गया। तहसीलदार की मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिनी के खेत खा. सं. 629/422 में जाने हेतु प्रार्थिनी के पुश्तैनी खेत (खसरा खाई बन्धु के) खेत में से ही रास्ता है जो आज दिन झगड़ा के कारण को हिस्सा पोलिथिन से ही तथा नम्बरा से लाल स्याही से घेर दिया गया है जिसमें तहसीलदार की रिपोर्ट में अंकित नम्बरान में दर्शाया गया है जो ग्राम पंचायत के आबादी क्षेत्र में हीराराम की ढाणी के मंदिर के पास से निकलकर झुंझुनूं के खेत में प्रवेश करता हुआ आगे जाता है तथा इसी रास्ते से चिन्ता देवी के खेत में प्रवेश करता है जो आदिकाल तक चालू है जिससे यह प्रकाशित है कि प्रार्थिनी को अपने खेत में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है व मौके पर चालू है RTAct की धारा 251(A)(1) के अनुसार खातेदार के पास वैकल्पिक व्यवस्था का रास्ता नहीं होना चाहिए तथा नए रास्ते की वास्तव आवश्यकता होने पर ही इस धारा के अन्तर्गत रास्ता मांगा किया जाने का प्रावधान है साथ ही तहसीलदार बीदासर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिनी के खेत में आवागमन हेतु सबसे नजदीकी रास्ता प्रार्थिनी के चाहे रास्ते के दीगर खा. सं. 616/329 को लगता है इसलिए प्रार्थिनी के आवागमन हेतु रास्ता की वास्तव आवश्यकता नहीं है वकील अप्रार्थीगण ने भी अपनी बहस में इन्हीं तथ्यों को अपना मुख्य बिन्दु बताया है तथा नए रास्ते को मांगा किया जाने का निषेध किया है अतः प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र RTAct 1955 की धारा 251(A)(1) विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने एवं पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली कायदे से फाइल होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर